महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्याः / XVII-2 / 14-06(02) / 2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला / समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।

3509
8-12-14

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 10 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2014

विषयः विकलांग युवक / युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान ₹ 25,000 /— किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करते हुए अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा जन कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं संचालित है, जिनमें से एक विकलांग युवक / युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य युवक द्वारा विकलांग युवती से विवाह करने पर अनुदान की राशि ₹ 14,000 /— एवं सामान्य युवती द्वारा विकलांग युवक से विवाह करने पर अनुदान की राशि ₹ 11,000 /— तथा दोनो विकलांग युवक / युवती द्वारा विवाह करने पर अनुदान की राशि ₹ 14,000 /— अनुमन्य है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विकलांग युवक / युवती के सामान्य युवक / युवती से विवाह करने पर तथा दोनो विकलांग युवक व युवती द्वारा विवाह करने पर दम्पत्ति को ₹ 25,000 /— का प्रोत्साहन अनुदान अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. इस योजना हेतु पूर्व निर्गत संगत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 के अशासकीय पत्र सं0–873 / XXVII(1) / 2014 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

श्रीमती प्रभा पाण्डे

श्रीमती जोशी (स0)
08.12.2014

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–1205 (1) / XVII-2 / 14–06(02) / 2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी एवं कुमॉयू मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
अपर सचिव।